रा.पु.मु.ज./5–99/70,000

प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

बुक नं.

1. जिला.चौकी भ्र0 नि0 ब्यूरो, भरतपुर, ...थाना. प्र0आ0 केन्द्र,भ्र0नि0ब्यूरो जयपुर... वर्ष ..2023...
   प्र. इ. रि. स. ...190/23..... दिनांक .....14/07/2023.....
2. (अ) अधिनियम भ्र0 नि0 (संशोधित) अधिनियम **वर्ष** 2018 . .धारायें...7.....
   (ब) अधिनियम ....धारायें.....
   (स) अधिनियम .....धारायें.....
   (द) अन्य अधिनियम एवं धारायें .....
3. (अ) रोजनामचा आम रपट सख्या .....798.....समय.....6:00 P.M.....
   (ब) अपराध घटने का दिन–दि.–मंगलवार /13.07.2023 /05.00 पीएम ...
   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने का दिनांक 12.07.2023 समय. 09.30 एएम.....
4. सूचना की किस्म :– लिखित/मौखिक – लिखित
5. घटनास्थल :– पुलिस थाना उच्चैन जिला भरतपुर।
   (अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी – दक्षिण दूरी करीब 15 कि0मी0 .....
   (ब) पता – .....बीट सख्या .....जरायमदेहीसं.....
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो ...पुलिस थाना.....जिला.....
6. परिवादी/सूचनाकर्ता :–
   (अ) नाम **श्री नीतेश कुमार**
   (ब) पिता /पति का नाम श्री मुरारीलाल जाति मीणा.....(स) जन्म तिथि /वर्ष 27 वर्ष
   (द) राष्ट्रीयता.....भारतीय .....
   (य) पासपोर्ट सख्या .....जारी होने की तिथी.....जारी होने की जगह.....
   (र) व्यवसाय..... ।

(ल) पता....ग्राम रीछौली पुलिस थाना उच्चैन जिला भरतपुर।

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तो का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :–

1– अमीरचन्द पुत्र श्री रामपाल जाति धोबी उम्र 50 साल निवासी ग्राम बसैया पुलिस थाना लखनपुर जिला भरतपुर हाल निवासी एल बी शास्त्री नगर सेवर जिला भरतपुर हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना उच्चैन जिला भरतपुर ।

8. परिवादी/ सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण :–कोई नही.....
9. चुराई हुई / लिप्त सम्पति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित होतो अतिरिक्त पन्ना लगायें) ....
   .....10,000/–रू0 रिश्वत राशि .....
10. चुराई हुई /लिप्त सम्पति का कुल मूल्य . पंचनामा/ यू.डी. केस सख्या (अगर हो तो)....
    .....10,000/–रू0 रिश्वत राशि .....
11. मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट (अप्राकृतिक मृत्यु मामला सं0) (यदि कोई हो तो) .....नहीं.....
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये).....

सेवामें, श्रीमान अति0 पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भरतपुर विषय– रिश्वत लेते हुए गे हाथों पकडवाने बाबत। महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मै नीतेश कुमार पुत्र मुरारी लाल जाति मीणा निवासी रीछौली थाना उच्चैन जिला भरतपुर का रहने वाला हूं दिनांक 02.06.2023 को पुलिस थाना उच्चैन में मेरे व मेरे परिवार वालों के खिलाफ गांव के पडौसी द्वारा मुदकमा नं0 232/2023 धारा 143,447,427 आईपीसी में दर्ज करवाया था जिसका अनुसंधान पुलिस थाना उच्चैन के एएसआई अमीरचन्द कर रहे हैं। जिन्होने मुझे करीबन 8–10 दिन पहले मुझे थाने पर बुलाया था जिन्होने मुझसे कहा कि तुम्हारे केस में एफआर लगा दुंगा तथा एसडीएम कोर्ट में धारा 147 सीआरपीसी की कार्यवाही नहीं करूंगा इसके लिये आपको 20 हजार रूपये देने होगें नहीं तो में 14 मुल्जिम बना दुंगा और 147 सीआरपीसी की कार्यवाही एसडीएम कोर्ट में कर दुंगा क्योंकि दूसरी पार्टी मुझे चार गुना पैसे देने के लिये तैयार है इस प्रकार अमीरचन्द एएसआई मुझसे मेरे वैद्य कार्य करने के लिए रिश्वत में 20 हजार रूपये की मांग कर रहा है मै इसको रिश्वत में 20 हजार रूपये देना नहीं चाहता हूं रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूं मेरी अमीरचन्द एएसआई से कोई पुरानी रंजिश व लेन देन नहीं है कार्यवाही करने की कृपा करें। प्रार्थी नीतेश कुमार पुत्र मुरारी लाल जाति मीणा उम्र 27 साल निवासी रीछौली थाना उच्चैन जिला भरतपुर राज0 मो0 8290107100 एसडी नीतेश कुमार 12.

07.2023 एसडी महेश मीणा अति0 पुलिस अधीक्षक 12.07.2023 एसडी अनूप सिंह 13.07.2023 नरेश सिंह 13.07.2023

कार्यवाही पुलिस

दिनांक 12.07.2023 समय – 09.30 एएम, एसीबी एसयू भरतपुर

प्रमाणित किया जाता है कि परिवादी श्री नीतेश कुमार पुत्र श्री मुरारी लाल उम्र 27 साल जाति मीणा निवासी रीछौली पुलिस थाना उच्चैन जिला भरतपुर ने उपस्थित कार्यालय होकर एक लिखित तहरीरी रिपोर्ट मय स्वयं के आधार कार्ड मय पुलिस थाना उच्चैन के मुदकमा नं0 232/23 धारा 143,447,427 आईपीसी की एफआईआर की छायाप्रति के अति0 पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भरतपुर के पद नाम मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को इस आशय की पेश की कि मै नीतेश कुमार पुत्र मुरारी लाल जाति मीणा निवासी रीछौली थाना उच्चैन जिला भरतपुर का रहने वाला हूं दिनांक 02.06.2023 को पुलिस थाना उच्चैन में मेरे व मेरे परिवार वालों के खिलाफ गांव के पडौसी द्वारा मुदकमा नं0 232/2023 धारा 143,447,427 आईपीसी में दर्ज करवाया था जिसका अनुसंधान पुलिस थाना उच्चैन के एएसआई अमीरचन्द कर रहे हैं। जिन्होने मुझे करीबन 8–10 दिन पहले मुझे थाने पर बुलाया था जिन्होने मुझसे कहा कि तुम्हारे केस में एफआर लगा दुंगा तथा एसडीएम कोर्ट में धारा 147 सीआरपीसी की कार्यवाही नहीं करूंगा इसके लिये आपको 20 हजार रूपये देने होगें नहीं तो में 14 मुल्जिम बना दुंगा और 147 सीआरपीसी की कार्यवाही एसडीएम कोर्ट में कर दुंगा क्योंकि दूसरी पार्टी मुझे चार गुना पैसे देने के लिये तैयार है इस प्रकार अमीरचन्द एएसआई मुझसे मेरे वैद्य कार्य करने के लिए रिश्वत में 20 हजार रूपये की मांग कर रहा है मै इसको रिश्वत में 20 हजार रूपये देना नहीं चाहता हूं रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूं मेरी अमीरचन्द एएसआई से कोई पुरानी रंजिश व लेन देन नहीं है उपरोक्त रिपोर्ट पर परिवादी से मजीद दरियाफ्त की गई तो तहरीरी रिपोर्ट व मजीद दरियाप्त से मामला रिश्वत मांग का पाया जाने पर समय 10.30 एएम पर रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन के क्रम में डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को कार्यालय की आलमारी से श्री रीतराम हैड कानि0 45 से निकलवाकर परिवादी श्री नीतेश कुमार को चालू एवं बन्द करने की विधि समझायी गई उक्त विभागीय डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को श्री गोकुलेश कानि. को सुपुर्द कर हिदायत दी गई कि वह परिवादी नीतेश कुमार को आरोपी के जाने से पूर्व अपना परिचय देकर सुपुर्द करे तथा परिवादी के बाहर आने पर वापस प्राप्त कर ज्यों का त्यौं सुरक्षित लेकर आवे इससे छेडछाड नही करें रिश्वत मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु परिवादी एवं कानि0 गोकुलेश को परिवादी की निजी मोटर साईकिल से पुलिस थाना उच्चैन रवाना किया गया। फर्द सुपुर्दगी विभागीय डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर पृथक से मुर्तिब की जाकर बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 12.50 पीएम पर श्री गोकुलेश कानि. मय परिवादी नीतेश कुमार के उपरोक्त फिकरा का रवानाशुदा उपस्थित कार्यालय आया। परिवादी ने बताया कि आरोपी श्री अमीरचन्द एएसआई पुलिस थाना उच्चैन जिला भरतपुर से मेरी वार्ता हो गई है उसने मेरे से मेरे मुकदमा में एफआर लगाने की एवज में 11000 रूपये रिश्वत के रूप में मांगे हैं तथा 1000 रूपये रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान ले लिये हैं मैंने अमीरचन्द एएसआई से हुई वार्तालाप को इस वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लिया है। प्राप्तशुदा वॉइस रिकॉर्डर को सुना गया तो वॉइस रिकॉर्डर में रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता रिकॉर्ड होना पायी गई। परिवादी द्वारा बतायी गई उपरोक्त वार्ता सही पायी गई। परिवादी ने बताया कि अमीरचन्द एएसआई ने कल दिनांक 13.07.2023 को बुलाया है तथा परिवादी ने बताया कि मेरे एक निजी रिस्तेदार की तबीयत अधिक खराब है मै कल दिनांक 13.07.2023 को सुबह उपस्थित हो जाउंगा। इस पर परिवादी को कार्यवाही की गोपनीयता रखते की आवश्यक हिदायत देकर कल दिनांक 13.07.2023 को समय 09.00 एएम पर रिश्वत राशि 10000 रूपये के साथ उपस्थित होने हेतु हिदायत देकर रूखसत किया वॉईस रिकॉर्डर को कार्यालय की आलमारी में सुरक्षित रखवाया गया परिवादी के उपस्थित आने पर रिकॉर्ड वार्तालाप का रूपान्तरण पृथक से तैयार किया जाकर सीडियां तैयार की जावेगीं। गोकुलेश कानि. से डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर जरिये फर्द वापसी प्राप्त किया, फर्द शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 04.45 पीएम पर श्री उमाशंकर कानि0 82 को स्वतन्त्र गवाह पाबन्द कर दिनांक 13.07.2023 को समय 09.30 एएम पर कार्यालय में उपस्थित होने हेतु सचिव नगर विकास न्यास भरतपुर के नाम तहरीरी जारी कर

कार्यालय नगर विकास न्यास भरतपुर रवाना करने पर समय 05.40 पीएम पर बाद करके पाबन्द स्वतन्त्र गवाह अनूप सिंह कनिष्ठ अभियंता व श्री नरेश सिंह कनिष्ठ अभियंता को कार्यालय नगर निवास न्यास भरतपुर से वापस चौकी उपस्थित आया। इसके बाद दिनांक 13.07.2023 समय 09.00 एएम पर पूर्व से पाबन्दशुदा परिवादी नीतेश कुमार आरोपी को दी जाने वाली रिश्वत राशि 10000 लेकर उपस्थित कार्यालय आया जिसे कार्यालय में ही बिठाया गया। तत्पश्चात समय 09.30 एएम पर पूर्व से पाबन्द शुदा दोनो स्वतंत्र गवाहान उपस्थित कार्यालय आये मन अति0 पुलिस अधीक्षक ने स्वयं का परिचय देकर उक्त दोनों स्वतन्त्र गवाहान से उनका परिचय पूछा गया तो उन्होने अपना अनूप सिंह पुत्र श्री जयराम सिंह जाति राजपूत उम्र 35 साल निवासी 11/ई रायगंज उत्तरी पोस्ट सदर थाना राजघाट जिला गोरखपुर उत्तर प्रदेश हाल कनिष्ठ अभियंता नगर विकास न्यास भरतपुर व नरेश सिंह पुत्र श्री भगवान सिंह जाति जाट उम्र 37 साल निवासी सुभाष नगर रघु आटा चक्की के पास पुलिस थाना कोतवाली भरतपुर हाल कनिष्ठ अभियंता नगर विकास न्यास भरतपुर होना बताया होना बताया। परिवादी पूर्व से ही कार्यालय में उपस्थित है। गवाहान का परिचय परिवादी श्री नीतेश कुमार से करवाया जाकर उसके द्वारा करवाई जा रही ट्रेप कार्यवाही की लिखित रिपोर्ट को स्वतन्त्र गवाहान को पढकर सुनाया, दोनों स्वतंत्र गवाहान से कार्यवाही में स्वतंत्र गवाह रहने की अनुमति चाही गई तो दोनों स्वतंत्र गवाहान ने अपनी अपनी मौखिक रूप से स्वीकृति दी तथा प्रमाण स्वरूप स्वतन्त्र गवाहान द्वारा लिखित रिपोर्ट पर अपने–अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात समय 09.40 एएम पर डिजीटल वाईस रिकॉर्डर कार्यालय के कम्प्यूटर जिसमें लाईसेन्सी एन्टीवायरस डला हुआ है से स्कैन किया गया तो डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में कोई वायरस या मालवेयर नहीं पाया गया। उक्त डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में दिनांक 12.07.2023 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन की वार्ता है उक्त वार्ता की ऑडियो फाईस का FTK IMAGER सॉफ्टवेयर की सहायता से MD5 व SHA1 में हैश व्यल्यू निकाली जाकर हैल व्यल्यू का प्रिन्ट ऑउट लिया जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवा कर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चातय समय 09.50 एएम पर डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में परिवादी नीतेश कुमार एवं आरोपी अमीरचन्द एएसआई के मध्य रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता रिकार्ड है को कम्प्यूटर में सेव किया गया। रूबरू गवाहान व परिवादी के समक्ष सीडी तैयार कर रिकॉर्ड वार्ता को सुना जाकर पृथक से रूपान्तरण गवाहान, परिवादी की मौजूदगी में तैयार किया गया। सीडी की और दो सीडी तैयार करवायी गई। मूल सीडी एवं मुल्जिम सीडी प्रति पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क " ए " अंकित करवाकर मूल सीडी एवं मुल्जिम प्रति सीडी को कपडे की थेली में रखवाकर सील मौहर करवाकर थैली पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मूल व मुल्जिम सीडी को सुरक्षित मालखाना रखने हेतु श्री रीतराम हैड कानि0 45 को दुरूस्त हालत में सम्भलाया गया तथा आईओ प्रति को खुला रखा गया। फर्द रूपान्तरण वार्ता पृथक से मुर्तिब कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 02.45 पीएम पर रिश्वत मांग सत्यापन की वार्ता की सीडी जिसमें दिनांक 12.07.2023 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन की वार्ता है उक्त वार्ता की ऑडियो फाईस का FTK IMAGER सॉफ्टवेयर की सहायता से MD5 व SHA1 में हैश व्यल्यू निकाली जाकर हैल व्यल्यू का प्रिन्ट ऑउट लिया जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवा कर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चातय समय 03.00 पीएम पर मौतविरान के समक्ष मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के द्वारा परिवादी श्री नीतेश कुमार पुत्र श्री मुरारी लाल उम्र 27 साल जाति मीणा निवासी रीछौली पुलिस थाना उच्चैन जिला भरतपुर को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने की कहने पर उसने अपने पास से भारतीय मुद्रा के 20 नोट पांच पांच सौ रूपये के कुल 10,000/– रूपये निकालकर पेश किये जिनका विवरण निम्न प्रकार से है:–

क्र.सं	नोट का प्रकार	नोटों के नम्बर
1	एक नोट पांच सौ रूपये का	8 EH 585251
2	एक नोट पांच सौ रूपये का	0 MD 126871
3	एक नोट पांच सौ रूपये का	0 RE 093708
4	एक नोट पांच सौ रूपये का	5 PF 878592

5	एक नोट पांच सौ रूपये का	7 DN 774072
6	एक नोट पांच सौ रूपये का	5 QS 175482
7	एक नोट पांच सौ रूपये का	3 PV 765745
8	एक नोट पांच सौ रूपये का	8 AQ 154500
9	एक नोट पांच सौ रूपये का	7 PG 981512
10	एक नोट पांच सौ रूपये का	3 EU 247973
11	एक नोट पांच सौ रूपये का	6 KL 620929
12	एक नोट पांच सौ रूपये का	6 KL 620928
13	एक नोट पांच सौ रूपये का	6 KL 620927
14	एक नोट पांच सौ रूपये का	8 GH 495138
15	एक नोट पांच सौ रूपये का	5 FW 093789
16	एक नोट पांच सौ रूपये का	2 TP 879913
17	एक नोट पांच सौ रूपये का	8 CQ 939679
18	एक नोट पांच सौ रूपये का	9 FB 221905
19	एक नोट पांच सौ रूपये का	2 HC 848741
20	एक नोट पांच सौ रूपये का	9 BK 878615

उपरोक्त पेश शुदा नोटों के नम्बरों को बोल–बोल कर फर्द में अंकित करवाये जाकर श्री सुरेश कुमार कानि. 185 से कार्यालय की आलमारी से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी मंगवाई जाकर एक अखबार के ऊपर फिनोफ्थलीन पाउडर निकलवाकर उक्त सभी नोटों पर श्री सुरेश कुमार कानि. से फिनोफ्थलीन पाऊडर भली–भांति लगवाया गया तथा परिवादी श्री नीतेश कुमार की जामा तलाशी गवाह श्री अनूप सिह कनिष्ठ अभियंता से लिवायी जाकर परिवादी के पास पहने हुए परिधान एवं उसके मोवाईल के अलावा कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। इसके पश्चात् फिनोफ्थलीन पाउडर लगे भारतीय मुद्रा के 10,000/–रूपये के नोटों को श्री सुरेश कुमार कानि. से परिवादी श्री नीतेश कुमार की पहनी हुई जीन्स पेन्ट की सामने की बांयी तरफ की जेब में सीधे ही रखवाये जाकर उसे हिदायत दी कि वह इन नोटों को अनावश्यक रूप से नहीं छुये तथा आरोपी द्वारा रिश्वती राशि मांगने पर यही पाउडर लगे नोट उसे निकालकर देवे तथा उससे हाथ नहीं मिलावे यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो हाथ जोडकर अभिवादन करे, आरोपी रिश्वत राशि प्राप्त कर कहां रखता है इसका पूरा ध्यान रखे तथा बाहर आकर अपने सिर पर हाथ फेरकर/मोबाईल से फोन कर रिश्वत स्वीकृति का मुकर्रर ईशारा करे। उपस्थित दोनो गवाहान को हिदायत दी गई कि वे यथा सम्भव परिवादी तथा आरोपी के मध्य होने वाले रिश्वत के लेन देन को देखने तथा बातचीत को सुनने का प्रयास करे। इसके बाद एक कांच के गिलास में साफ पानी मंगवाकर उसमें थोडा सोडियम कार्बोनेट पाऊडर डलवाकर घोल तैयार करवाकर उक्त घोल में नोटों पर फिनोफ्थलीन पाऊडर लगाने वाले श्री सुरेश कुमार कानि. के दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गहरा गुलाबी हो गया। इस प्रकार फिनोफ्थलीन पाऊडर व सोडियम कार्बोनेट पाऊडर की आपसी रासायनिक प्रतिक्रिया का महत्व दोनों गवाहान व परिवादी को समझाया गया तथा गिलास के धोवन को कार्यालय के बाहर फिकवाया गया व काम में लिये गये अखबार को जलवाकर नष्ट करवाया गया तथा फिनोफ्थलीन पाऊडर की शीशी को बंद ढक्कन कराकर श्री सुरेश कुमार कानि. से आलमारी में रखवाया गया। गिलास व श्री सुरेश कुमार कानि. के दोनों हाथों एवं गिलास को साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाया गया। गिलास को कार्यालय में ही छोडा गया। इसके बाद दोनों गवाहान व परिवादी एवं समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यों के हाथ साबुन पानी से अच्छी तरह साफ करवाये गये। इसके बाद परिवादी श्री नीतेश कुमार को छोडकर दोनों गवाहान एवं समस्त ट्रेप

पार्टी सदस्यों की आपस में एक दूसरे से जामा तलाशी लिवायी गई जिसमें मोबाईल फोन, परिचय पत्र के अलावा किसी के पास कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। ट्रेप कार्यवाही में उपयोग में आने वाले उपकरणों को साबुन पानी से श्री रीतराम हैड कानि0 द्वारा अच्छी तरह साफ करवाया जाकर ट्रेप बॉक्स में रखवाया गया। परिवादी श्री नीतेश कुमार को सरकारी डिजीटल वॉइस रिकार्डर वक्त रिश्वत लेन देन की वार्ता को रिकार्ड करने के लिये वॉइस रिकॉर्डर को चलानें एवं बन्द करने की विधि समझाकर बाद हिदायत सुपुर्द किया गया। पाउडर लगाने वाले श्री सुरेश कुमार कानि. को कार्यालय में ही छोडा गया। फर्द पृथक से मुर्तिब की जाकर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके बाद समय 03.45 पीएम पर श्री गोकुलेश कानि0 454 का मय परिवादी श्री नीतेश कुमार के साथ परिवादी की निजी मोटर साईकिल से रवाना कर उनके पीछे पीछे श्री परसराम कानि0 203 व श्री मेघसिंह कानि0 128 को सरकारी मोटर साईकिल से रवाना कर उनके पीछे पीछे श्री अदाराम एएसआई मय श्री रीतराम हैड कानि. 45, श्री सुशील कुमार कानि0 557, श्री दिलीप सिह कानि0 610 मय सरकारी गाडी टवेरा मय चालक विजय सिंह 339 के रवाना कर उनके पीछे पीछे मन अति0 पुलिस अधीक्षक मय श्री हरभान सिह कानि0 591 , श्री विनोद सिंह कानि0 114 मय दोनों स्वतंत्र गवाहान मय प्राईवेट गाडी मय प्राईवेट चालक मय सरकारी लेपटॉप, प्रिटंर एवं ट्रेप बॉक्स के पुलिस थाना उच्चैन वास्ते ट्रेप कार्यवाही हेतु रवाना होने पर समय 04.30 पीएम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान गवाहान व ट्रेप पार्टी व परिवादी के पुलिस थाना उच्चैन के पास चाय की थडी के पास पहुंचा जहां वाहनों को साईड में खडा कर परिवादी को आरोपी से मिलने पुलिस थाना उच्चैन के लिये रवाना किया जाकर परिवादी के पीछे पीछे श्री विनोद सिंह कानि0 , परसराम कानि0 व श्री मेघसिंह कानि0 को रवाना किया गया तथा मन अति0 पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान मय शेष ट्रेप पार्टी सदस्यों के थाने के आस पास अपनी पहचान छुपाते हुए खडा हो गया इसके बाद समय 05.00 पीएम पर मन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महेश मीणा को परिवादी श्री नीतेश कुमार के नियत इशारे की सूचना प्राप्त होने पर मन अति0 पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान स्वतन्त्र गवाहान व ट्रेप पार्टी सदस्यों के बाईपास तिराहा उच्चैन के पास से रवाना होकर पुलिस थाना उच्चैन के पास स्थित चाय की थडी पर पहुंचा तो परिवादी नीतेश कुमार रोड के पास खडा मिला जिससे पूर्व में सुपुर्द शुदा वॉईस रिकॉडर को प्राप्त कर बन्द कर अपने पास रखा परिवादी ने मन अति0 पुलिस अधीक्षक को बताया कि अभी अभी अमीरचन्द एएसआई ने मेरे से थाने के अन्दर अपने कार्य करने के कक्ष में 10,000 रूपये रिश्वत के लेकर अपने पहनी हुई पेन्ट की साईड की बांयी तरफ की जेब में रख लिये हैं परिवादी ने थाने के सामने खडे एक पेन्ट शर्ट पहने व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि यही अमीरचन्द एएसआई है। इस पर मन अति0 पुलिस अधीक्षक मय हमराहीयान के चाय की थडी के पास रवाना होकर पुलिस थाना उच्चैन के मुख्य गेट के पास पहुंचा जहां परिवादी द्वारा ईशारे से बताये गये व्यक्ति को रोका व उसको अपना व हमराहीयान का परिचय देते हुए उसका नाम पता पूछा तो अपना नाम अमीर चन्द एएसआई बताया। इसके बाद अमीरचन्द एएसआई को कार्यवाही की भनक लगने पर भागने की कोशिश करने लगा इस पर मन अति0 पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार हमराही जाप्ता द्वारा अमीर चन्द एएसआई को रोका गया तत्पश्चात अमीर चन्द एएसआई का बांया हाथ श्री गोकुलेश कानि0 व दाहिना हाथ श्री विनोद सिंह कानि0 से कलाईयों के उपर से पकडवाये जाकर हाथ पकडी हुई अवस्था में अग्रिम कार्यवाही हेतु अमीर चन्द एएसआई को हमराह लेकर पुलिस थाना में थानाधिकारी कक्ष में पहुंचा जहां पुनः अमीरचन्द एएसआई से उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम अमीरचन्द पुत्र श्री रामपाल जाति धोबी उम्र 50 साल निवासी ग्राम बसैया पुलिस थाना लखनपुर जिला भरतपुर हाल निवासी एल बी शास्त्री नगर सेवर जिला भरतपुर, हाल

सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना उच्चैन जिला भरतपुर होना बताया इस पर आरोपी अमीरचन्द से परिवादी नीतेश कुमार से ली गई रिश्वत राशि 10,000 रूपये के संबंध में पूछा तो आरोपी अमीरचन्द एएसआई ने बताया कि मै पुलिस थाना उच्चैन में करीब 5–6 महिने से एएसआई के पद पर पदस्थापित हूं मै पुलिस थाना उच्चैन के मुकदमा नं0 232/2023 धारा 143,447,427 आईपीसी में अनुसंधान अधिकारी हूं जिसमें नीतेश कुमार मीणा मुल्जिम है नीतेश मीणा कल मेरे पास उच्चैन थाने में आया था उसको मैने इस फाईल के संबंध में सारी बात बताई थी उसने मुझसे केस में एफ0आर0 लगाने के लिये कहा था और मुझे खर्चा पानी देने के कहा मैने उससे आगे से पैसे नहीं मांगे थे उसने मुझे 11,000 रूपये देने की बात कही थी और एक हजार रूपये मुझे दे दिये थे और शेष 10000 रूपये एकाध दिन में देने की कहा था इसके बाद नीतेश मीणा मेरे पास से चला गया था और आज यह मेरे पास आया और मुझे 10000 रूपये देकर चला गया जिनको मैने मेरे पहने हुए पेन्ट की बांयी तरफ की साईड की जेब में रख लिये मुझे नीतेश मीणा पर कुछ शक हुआ तो मै उसके पीछे पीछे बाहर जा रहा था 10000 रूपये अभी भी मेरी पेन्ट की जेब मे रखे हुए हैं। तत्पश्चात आरोपी के उक्त कथन पर परिवादी श्री नीतेश कुमार से पूछा गया तो परिवादी ने बताया कि मेरे और मेरे परिवार वालों के विरूध पुलिस थाना उच्चैन में मुकदमा नं0 232/2023 धारा 143,447,427 आईपीसी में दर्ज हुआ था जिसमें एएसआई अमीरचन्द जी तफ्तीश कर रहे थे इन्होने मुझसे इस केस में एफ0आर0 लगाने की एवज में करीबन 10–12 दिन पहले 20000 रूपये रिश्वत की मांग की थी जिसपर मेरे द्वारा कल आपके कार्यालय में आपको शिकायत दी थी जिस पर आप द्वारा रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन कराया गया था एएसआई साहब द्वारा मुझसे 15000 रूपये रिश्वत की मांग की मेरे निवेदन करने पर 11000 रूपये लेने पर सहमत हुए और एक हजार रूपये ले लिये और शेष 10000 रूपये आज अपने कक्ष में मुझसे बाये हाथ में लेकर अपने पहनी हुई पेन्ट की बांयी जेब में रख लिये इसके बाद मैने बाहर आकर आपको ईशारा कर दिया। इस पर अग्रिम कार्यवाही हेतु ट्रेप बॉक्स में से एक स्टील के कटोरे को निकलवाकर थाने में लगी टंकी के नल से जग मे साफ पानी मंगवाकर स्टील के कटोरे को साफ पानी से अच्छी तरह साफ करवाकर साफ पानी डलवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर गवाह श्री नरेश सिंह कनिष्ठ अभियंता से हिलवाया गया तो पानी रंगहीन रहा जिसे सभी हाजरीन को दिखाया तो सभी ने रंगहीन होना स्वीकार किया। इस पर स्टील के कटोरे के घोल में श्री अमीरचन्द सहायक उप निरीक्षक के दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे सभी को दिखाकर दो कांच की साफ शीशियों में आधा–आधा भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा करवाकर चिट व कपडे पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शीशी पर मार्क आर एच–1 व आर एच–2 अंकित करवाकर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। पुनः स्टील के कटोरे को साबुन व पानी से अच्छी तरह धुलवाकर उसमें साफ पानी भरवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर हिलाया तो पानी रंगहीन रहा। इस घोल में श्री अमीरचन्द सहायक उप निरीक्षक के बांये हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया जिसे भी सभी हाजरीन को दिखाकर दो काचं की साफ शीशियों में आधा–आधा भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा करवाकर चिट व कपडे पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क एल एच–1 व एल एच–2 अंकित करवाकर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। तत्पश्चात गवाह श्री अनूप सिंह कनिष्ठ अभियंता से आरोपी अमीर चन्द सहायक उप निरीक्षक के पहने हुए पेन्ट की बांयी तरफ की साईड की जेब की तलाशी लिवाई गई तो भारतीय मुद्रा के पांच–पांच सौ रूपये के 20 नोट कुल 10,000 रूपये पाये गये गवाहान से पूर्व में कार्यालय में बनाई गई फर्द पेशकशी से उक्त नोटो का मिलान करवाया गया तो

नम्बर हुबहु पाये गये नोटों को एक सफेद कागज की चिट के साथ सिलवाकर सील मौहर करवाकर चिट के ऊपर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया पुनः ट्रेप बॉक्स में से स्टील का कटोरा निकलवा कर उसे साफ पानी व शैम्पू से अच्छी तरह धुलवाकर उसमें साफ पानी डाल कर सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार कर आरोपी अमीरचन्द सहायक उप निरीक्षक के पहने हुए पेन्ट को उतरवा कर उनके कार्य करने के कक्ष से पेन्ट मंगवाया जाकर उसे पहनने को दिया जाकर पेन्ट को उल्टा कर बांयी तरफ की साईड के जेब को घोल में धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे भी सभी हाजरीन को दिखाकर दो काचं की साफ शीशियों में आधा–आधा भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा करवाकर चिट व कपडे पर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शीशीयों पर मार्क पीपी–1 व पीपी–2 अंकित करवाकर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। पेन्ट के जेब को सुखवा कर पेन्ट का अवलोकन किया गया तो पेन्ट का सलेटी रंग है के साईड के बांयी तरफ के जेब पर सिल्वर कलर के जैल पेन से संबंधित के हस्ताक्षर करा कर एक सफेद कपडे की थैली रखवाकर थैली को सिलवाकर सील मौहर करवाकर थैली पर भी सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर थैली पर मार्क "पी" अंकित करवाकर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। परिवादी से प्राप्तशुदा डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर को चालू कर सुना गया तो वक्त रिश्वत लेन–देन वार्ता रिकॉर्ड होना पायी गयी जिसका पृथक से रूपान्तरण कार्यालय में कम्प्यूटर की सहायता से हैड फोन से सुना जाकर तैयार करवाया जावेगा। आरोपी अमीरचन्द सहायक उप निरीक्षक से परिवादी नीतेश कुमार से संबंधित पत्रावली के संबंध में पूछा तो बताया कि पत्रावली मेरे कार्य करने के कक्ष में रखी हुई है अतः उक्त पत्रावली को पृथक से प्राप्त किया जाकर जरिये फर्द पृथक से जप्त किया जावेगा। आरोपी अमीरचन्द सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना उच्चैन जिला भरतपुर का उक्त कृत्य धारा 7, पीसी 1988 यथा संशोधित वर्ष 2018 के अनुसार अपराध की श्रेणी में आता है। अतः उक्त आरोपी को जरिये फर्द पृथक से गिरफ्तार किया जावेगा। फर्द बरामदगी पृथक से मूर्तिव की जाकर बाद संबंधित के हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 07.30 पीएम पर रूबरू गवाहान के समक्ष परिवादी श्री नीतेश कुमार के विरूद्ध दर्ज मुकदमा नं0 232/23 धारा 143,447,427 आईपीसी की अनुसंधान पत्रावली आरोपी अमीरचन्द सहायक उप निरीक्षक ने अपने कार्य करने के कक्ष में से निकाल कर पेश की पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पत्रावली पेज 01 लगायत 115 है प्रथम पृष्ठ पर प्रार्थना पत्र लगा हुआ है प्रथम पृष्ठ के उपर केस डायरी का सरवर्क लगा हुआ है अंतिम पृष्ठ पर कार्यालय थानाधिकारी पुलिस थाना उच्चैन का पत्रांक 1874 दिनांक 19.06.2023 लगा हुआ है पत्रावली की प्रकरण हाजा में बतौर बजह सबूत आवश्यकता होने पर पत्रावली पेण्डिंग अनुसंधान होने पर पत्रावली की छायाप्रति करवाई जाकर थानाधिकारी श्री पंजाब सिंह पुलिस थाना उच्चैन से प्रमाणित करवाई जाकर प्रमाणित छायाप्रति को कार्यवाही हाजा में बतौर बजह सबूत जप्त कर कब्जे एसीबी ली गई पत्रावली के प्रथम व अंतिम पृष्ठ पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर असल पत्रावली को परिवादी का वैद्य कार्य निष्पक्ष करवाने की हिदायत कर थानाधिकारी को सुपुर्द की गई। फर्द जप्ती बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 08.15 पीएम पर रूबरू गवाहान के समक्ष आरोपी श्री अमीरचन्द पुत्र श्री रामपाल जाति धोबी उम्र 50 साल निवासी ग्राम बसैया पुलिस थाना लखनपुर जिला भरतपुर हाल निवासी एल बी शास्त्री नगर सेवर जिला भरतपुर हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना उच्चैन जिला भरतपुर को परिवादी श्री नीतेश कुमार से उसके विरूद्ध दर्ज मुकदमा नं0 232/2023 में एफआर देने की एवज में वक्त रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 12.07.2023 को 11,000/–रूपये रिश्वत की मांग करना व मांग के दौरान 1000 रूपये प्राप्त करना तथा मांग के अनुसरण में आज दिनांक 13.07.2023 को परिवादी से 10000

रूपये अपने बांये हाथ में लेकर अपनी पहनी हुई पेन्ट की साईड की बांयी तरफ की जेब में रखना व 10,000/–रूपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकडे जाने पर आरोपी श्री अमीरचन्द सहायक उप निरीक्षक का उक्त कृत्य धारा 7, पीसी 1988 यथा संशोधित वर्ष 2018 का पाये जाने पर उक्त को जुर्म से आगाह कर हस्व कायदा गिरफ्तार किया गया फर्द गिरफ्तारी बाद हस्ताक्षर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात सयम 08.45 पीएम पर रूबरू गवाहान के समक्ष उक्त प्रकरण में आरोपी अमीरचन्द पुत्र श्री रामपाल जाति धोबी उम्र 50 साल निवासी ग्राम बसैया पुलिस थाना लखनपुर जिला भरतपुर हाल निवासी एल बी शास्त्री नगर सेवर जिला भरतपुर हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना उच्चैन जिला भरतपुर की आवाज की पहचान हेतु दौराने ट्रेप कार्यवाही में परिवादी से प्राप्त शुदा वॉईस रिकॉर्डर जिसमें रिश्वत लेनदेन वार्ता रिकार्डेड हैं को लेपटॉप से अटैच कर चलाया जाकर पुलिस थाना उच्चैन में उपस्थित श्री पंजाब सिंह उप निरीक्षक थानाधिकारी पुलिस थाना उच्चैन जिला भरतपुर को सुनवाई जाकर पहचान करवाई गई तो श्री पंजाब सिंह उप निरीक्षक ने उक्त आवाज अमीरचन्द सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना उच्चैन जिला भरतपुर की पहचान कर होना बताया है। तत्पश्चात समय 09.00 पीएम पर घटना स्थल का नक्शा मौका एवं हालात मौका परिवादी की निशादेही पर गवाहान की मौजूदगी में लाईटो की रोशनी में पृथक से तैयार किया गया। फर्द नक्शा मौका एवं हालात मौका मुर्तिब कर शामिल पत्रावली किया गया। इसके बाद समय 09.15 पीएम पर श्री अदाराम एएसआई मय श्री सुशील कुमार कानि0 , परसराम कानि0, गोकुलेश कानि0 मय गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री अमीरचन्द एएसआई मय जप्तशुदा रिश्वती राशि, धोवन की शील्ड शीशियां, शील्ड पेन्ट पैकिट ,मुताबिक फर्दात के मय सरकारी गाडी टवेरा मय चालक विजय सिंह के आरोपी को पुलिस थाना मथुरा गेट में बन्द हवालात कराते हुए एसीबी कार्यालय भरतपुर पहुंचने की हिदायत देकर रवाना किया गया मन अति0 पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान मय शेष ट्रेप पार्टी सदस्यों के आरोपी के निवास स्थान पर खाना तलाशी लेने मय प्राईवेट गाडी मय लेपटॉप मय प्रिंटर के आरोपी के निवास सेवर रवाना होता हूं। तत्पश्चात समय 10.10 पीएम पर मन अति0 पुलिस अधीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान मय ट्रेप पार्टी सदस्यों के बाद लेकर खाना तलाशी आरोपी के निवास स्थान सेवर से वापस चौकी आया तथा जप्तशुदा रिश्वती राशि, धोवन की शील्ड शीशियां, शील्ड पेन्ट पैकिट ,मुताबिक फर्दात को मालखाना प्रभारी से जमा मालखाना करवाया गया। तत्पश्चात समय 10.15 पीएम पर डिजीटल वाईस रिकॉर्डर कार्यालय के कम्प्यूटर जिसमें लाईसेन्सी एन्टीवायरस डला हुआ है से स्कैन किया गया तो डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में कोई वायरस या मालवेयर नहीं पाया गया। उक्त डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में दिनांक 13.07.2023 को हुई वक्त रिश्वत लेन देन की वार्ता है उक्त वार्ता की ऑडियो फाईस का FTK IMAGER सॉफ्टवेयर की सहायता से MD5 व SHA1 में हैश व्यल्यू निकाली जाकर हैल व्यल्यू का प्रिन्ट ऑउट लिया जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवा कर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात समय 10.30 पीएम परिवादी नीतेश कुमार से दौराने ट्रेप कार्यवाही प्राप्तशुदा डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर जिसमें वक्त रिश्वत लेन–देन परिवादी व आरोपी के मध्य हुई वार्तालाप रिकॉर्ड है, को लेपटॉप से अटैच कर वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्तालाप की रूबरू गवाहान व परिवादी के सीडी तैयार कर रिकॉर्ड वार्ता को सुना जाकर पृथक से रूपान्तरण गवाहान, परिवादी की मौजूदगी में तैयार किया गया। सीडी की और दो सीडी तैयार करवायी गई। मूल सीडी एवं मुल्जिम सीडी प्रति पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क " बी " अंकित करवाकर मूल सीडी एवं मुल्जिम प्रति सीडी को कपडे की थेली में रखवाकर सील मौहर करवाकर थैली पर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मूल व मुल्जिम सीडी को मालखाना प्रभारी श्री रीतराम हैड कानि0 को दुरूस्त हालत में सम्भलाया गया तथा आईओ प्रति को खुला रखा गया। फर्द रूपान्तरण वार्ता पृथक से

मुर्तिब कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात समय 11.10 पीएम पर वक्त रिश्वत लेन देन की वार्ता की सीडी जिसमें दिनांक 13.07.2023 को हुई वक्त रिश्वत लेन देन की वार्ता है उक्त वार्ता की ऑडियो फाईस का FTK IMAGER सॉफ्टवेयर की सहायता से MD5 व SHA1 में हैश व्यल्यू निकाली जाकर हैल व्यल्यू का प्रिन्ट ऑउट लिया जाकर संबंधित के हस्ताक्षर करवा कर शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात समय 11.30 पीएम पर ट्रेप कार्यवाही में वजह सबूत को सीलड करने के काम में ली गई पीतल की सील नं0 14 को परिवादी व गवाहान की मौजूदगी में जरिये फर्द नष्ट किया गया। फर्द की एक प्रति गवाह श्री अनूप सिंह सहायक अभियंता को दी गई। बाद सम्पन्न कार्यवाही परिवादी व दोनो स्वतंत्र गवाहान को रूखस्त किया गया।

अब तक सम्पन्न की गई ट्रेप कार्यवाही से पाया गया कि आरोपी अमीरचन्द सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना उच्चैन द्वारा परिवादी श्री नीतेश कुमार से पुलिस थाना उच्चैन में दर्ज मुदकमा नं0 232/2023 धारा 143,447,427 आईपीसी में एफआर लगाने की एवज में वक्त रिश्वत मांग सत्यापन 11000 रूपये रिश्वत की मांग करना व रिश्वत मांग के दौरान 1000 रूपये प्राप्त करना उक्त मांग के अनुसरण में आज दिनांक 13.07.2023 को आरोपी अमीरचन्द सहायक उप निरीक्षक पुलिस को परिवादी से शेष राशि 10,000 रूपये की रिश्वत लेते हुए रंगें हाथ पकडा गया है आरोपी से रिश्वत राशि 10000 रूपये उसकी पहनी हुई पेन्ट की साईड की बांयी तरफ की जेब से बरामद होने का उक्त कृत्य जैर दफा 7 पीसी अधिनियम 1988 यथा संशोधित वर्ष 2018 में प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। अतः अभियुक्त अमीरचन्द पुत्र श्री रामपाल जाति धोबी उम्र 50 साल निवासी ग्राम बसैया पुलिस थाना लखनपुर जिला भरतपुर हाल निवासी एल बी शास्त्री नगर सेवर जिला भरतपुर हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना उच्चैन जिला भरतपुर के विरूद्ध बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते कायमी जुर्म प्रधान आरक्षी केन्द्र भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों जयपुर प्रेषित है।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
एसयू भरतपुर।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री महेश मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एसयू भरतपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी अमीरचन्द पुत्र रामपाल जाति धोबी, उम्र 50 साल निवासी ग्राम बसैया पुलिस थाना लखनपुर जिला भरतपुर हाल, सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना उच्चैन जिला भरतपुर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 190/2023 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार करा कर तफ्तीश जारी है।

14/7/23

(कालूराम रावत)
उप महानिरीक्षक पुलिस-द्वितीय,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांक 2337-40 दिनांक 14.07.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ट न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भरतपुर।
2. उप महानिरीक्षक रेंज भरतपुर, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. पुलिस अधीक्षक जिला भरतपुर।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एसयू भरतपुर।

14/7/23

उप महानिरीक्षक पुलिस-द्वितीय,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।